न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 46 / 2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00308

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. राजुराम पुत्र श्री कुम्माराम जाति मेगवाल निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. भुण्डाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति मेगवाल निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. श्रीमान सरपंच महोदय ग्राम पंचायत ढाबर तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27-7-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी श्री भुण्डाराम पुत्र चिमना के हक में ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा ग्राम ढाबर में जारी पट्टा संख्या 6602 दिनांक 05.11.2004 एवं मिसल संख्या 166 में पारित आदेश निरस्त कराने हेतु पेशी की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत ढाबर से पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का एक रहवासी मकान पट्टा सुदा ग्राम ढाबर में स्थित है जिसका पट्टा संख्या 8442 दिनांक 26.12.2000 बना हुआ है जो उसके पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा जारी सुदा है जिसके दो तरफ रास्ते है उत्तर में आम रास्ता व पश्चिम में 5 फिट की गली है जो रास्ता प्रार्थी के पश्चिम दिशा में बने कुलदेवी के मंदिर पर जाता है तथा दक्षिण दिशा में ही प्रार्थी संख्या 1 का मकान आया हुआ जिसका मुख्य दरवाजा 5 फिट की गली की तरफ नहीं होकर पूर्व दिशा में भी है अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर उक्त गली अर्थात रास्ता का कब्जा बताकर उक्त परिसर दिनांक 05.11.2004 को बिना मौका बिना कब्जा उनके नाम फर्जी रूप से पट्टा बनवा लिया उक्त पट्टा निम्न आधारों से खारिज योग्य है।

पट्टा रास्ते की भूमी का जारी किया गया है जो प्रार्थी के मकान से उनके कुलदेवी के मंदिर की तरफ जाता है रास्ते का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है उक्त पट्टा बिना आवेदन के अप्रार्थी के हक में जारी कर दिया है जिसकी मिसल 166 में फोटो प्रतियां ही है आदेशिका की फोटो प्रतियों में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है न आवेदन है वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रतियों में आवेदन है जिस में कॉलम संख्या 2 ,4,5,6 व 7 रिक्त है। नक्शा बनाने वाले नक्शानवीस के हस्ताक्षर नही है न उस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। बयान की फोटोप्रतियों में न तो बयान देने वाले के नाम दर्ज है न ही ह[illegible] आपति इश्तिहार जारी किया हुआ न उसमें शुल्क की[illegible] ली यह भी अंकित नहीं है। उपरोक्त [illegible] निगरानी पट्टा [illegible] फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश......................2

जिला कलेक्टर, पाली

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है–

1 . क्या उक्त पट्टा सार्वजनिक रास्ते की भूमी पर जारी किया गया है।

2 . क्या उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 की पालना कर जारी किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा पट्टा संख्या 6602 की फोटोप्रति पेश की गई जिसमें जैर निगरानी पट्टा भूमी रास्ते की भूमी होना स्पष्टतया दृष्टीगोचर होती है। एक अन्य सिविल प्रकरण संख्या 95/2016 जो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के न्यायालय में विचाराधीन है उसमें कमीशनर द्वारा मौका निरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ह जिसकी प्रति पत्रावली संलग्न है उसमें जैर निगरानी पट्टा आराजी की भूमी को रास्ता दर्शाया गया है उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अप्रार्थी भुण्डाराम के भी हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता का स्वयं का तथा अन्य पड़ोसियों के पट्टे जैर निगरानी पट्टे से पूर्व जारी किए हुए है। अतः इस प्रकार निगरानीकर्ता यह साबित करने में सफल रहा है कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमी है।

मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल में आवेदन ही नही है आदेशिकाओं में कहीं भी किसी के हस्ताक्षर नहीं किए हुए है। नियमानुसार नक्शा नहीं बनाया हुआ है आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा बयान आदि भी लिए हुए नहीं है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रतियों में बयान किसके लिए उनका नाम वल्दियत पता अंकित नहीं है न ही हस्ताक्षर किए हुए है तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर अवलोकन से पट्टे में वर्णित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 लिया ही नहीं गया है कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जैर निगरानी तथा कथित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 एवं मिसल संख्या 166 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 6602 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त किया जाता है निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत ढाबर से प्राप्त रिकॉर्ड के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested